


विधानसभा प्रश्न क्रमांक 4292 तारांकित प्रश्न


परिशिष्ट 'तैतीस'

इन्दौर जिले में 26 दस्तावेज पंजीबद्ध किये गये, जिनमें स्टाम्प शुल्क एवं पंजीयन शुल्क 4,72,630 रुपये वसूल किया गया है।

भोपाल जिले में 23 दस्तावेज पंजीबद्ध किये गये, जिनमें स्टाम्प शुल्क एवं पंजीयन शुल्क 10,07,681 रुपये वसूल किया गया है।

उज्जैन जिले में प्रश्न दिनांक तक कोई दस्तावेज पंजीयन हेतु प्रस्तुत नहीं हुआ।


-16
अवर सचिव
मो प्रो कार्यालय
वाणिज्यिक कर विभाग,
भंडालय, भोपाल.


महानिरीक्षक पंजीयन
मध्यप्रदेश

विधानसभा प्रश्न क्रमांक 4292 तारांकित प्रश्न


परिशिष्ट "ख"

इन्दौर जिले में कुल 264 प्रकरण दर्ज किये गये, जिनमें राशि 19,90,596 वसूल की जानी है। कुल दर्ज प्रकरणों में से 100 प्रकरण निराकृत किए गए हैं। इनमें राशि 1,53,521 वसूल की जा चुकी है। शेष प्रकरण प्रचलित हैं।

भोपाल जिले में कुल 44 प्रकरण दर्ज किये गये जिसमें राशि 7,75,763 रुपये कमी स्टाम्प शुल्क निर्धारित किया गया। दर्ज प्रकरणों में से 25 प्रकरण निराकृत किए जा चुके हैं।

उज्जैन जिले में कोई प्रकरण दर्ज नहीं किया गया है। कलेक्टर, उज्जैन के माध्यम से समस्त नगरनिगम/नगरपालिकाओं को अपंजीबद्ध विलेखों की प्रतियां प्रस्तुत करने एवं विलेख पंजीबद्ध कराने के निर्देश जारी किये गये हैं।

14/11/16
अध्याय सचिव
म० प्र० शासन
बाजिन्जिक कट विभाग,
सहायक, भोपाल.


महानिरीक्षक पंजीयन
मध्यप्रदेश